



एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल-462003

☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

कमांक/मुख्या/उद्यान/प्लास्टिक आयटम/2023-24/3012

दिनांक 19/12/23

प्रति,

जिला प्रबंधक (समस्त)

विषय- निगम के माध्यम से वर्ष 2023-24 के लिये **NON ISI MARKED MULCH FILM NON BIO DEGRADABLE - REFLECTIVE & NON REFLECTIVE** प्रदाय दरों के संबंध में।

निगम के माध्यम से वर्ष 2023-24 के लिये **NON ISI MARKED MULCH FILM NON BIO DEGRADABLE - REFLECTIVE & NON REFLECTIVE** के प्रदाय हेतु निम्नानुसार प्रदायकों से अनुबंध निष्पादित किये गये हैं:-

NAME OF SUPPLIER	NAME OF MANUFACTURER
EMMBI INDUSTRIES LIMITED GROUND FLOOR OF THE MAIN BUILDING AT DANI CORPORATE PARK, 158, CST ROAD, KALINA, SANTACNUZ (EAST) MUMBAI MOBILE- 8433935826 Email- sujit.dalvi@emmbi.com	EMMBI INDUSTRIES LIMITED GROUND FLOOR OF THE MAIN BUILDING AT DANI CORPORATE PARK, 158, CST ROAD, KALINA, SANTACNUZ (EAST) MUMBAI MOBILE- 8433935826 Email- sujit.dalvi@emmbi.com
KSC AGRI INDUSTRIES PVT. LTD., KHASRA NO. 347, GRAM KHADKOD, DISTT. BURHANPUR Mobile- 7000438701 Email- kscagriindustries@gmail.com	KSC AGRI INDUSTRIES PVT. LTD., KHASRA NO. 347, GRAM KHADKOD, DISTT. BURHANPUR Mobile- 7000438701 Email- kscagriindustries@gmail.com
NETWIN AGRO & BIOTECH PVT. LTD., 105/03/1, KALARIA INDORE (M.P.) Mobile- 9827062263 Email- netwinagro@gmail.com	NETWIN AGRO & BIOTECH PVT. LTD. 105/03/1, KALARIA INDORE (M.P.) Mobile- 9827062263 Email- netwinagro@gmail.com

NON ISI MARKED MULCH FILM NON BIO DEGRADABLE - REFLECTIVE & NON REFLECTIVE का तकनीकी विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। निगम की कय एवं विक्रय दरों का विवरण परिशिष्ट 2 पर संलग्न है। अनुमोदित दरें केवल निगम के माध्यम से सामग्रियों के प्रदाय हेतु है। किसी अन्य संस्था/विभाग द्वारा इन दरों पर सीधे कय/विक्रय करने की स्थिति में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इसके लिये निगम किसी भी रूप में उत्तरदायी नहीं होगा। इन दरों के प्रसारण के साथ समान सामग्री हेतु निगम द्वारा पूर्व में प्रसारित दरें स्वमैव निरस्त मानी जायेगी। जिला प्रबंधकों का दायित्व है कि वे निगम की विक्रय दरों से उद्यानिकी एवं खादय प्रसंस्करण विभाग/किसान तथा कृषि कल्याण विभाग/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत/वन विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों के जिला अधिकारियों को अवगत करावें एवं निगम के पक्ष में व्यवसाय प्राप्त करें।

2. सामग्रियों के प्रदाय से संबंधित अन्य नियम एवं शर्तें निम्नानुसार रहेगी-

1. संलग्न दरें FOR Destination (प्रदाय स्थल तक पहुंचाकर) लोडिंग एवं अनलोडिंग सहित हैं।

 नितिन मोहगांवकर

निरंतर.....

- II. जिला प्रबंधक निर्माता/प्रदायक के अनुशंसा के साथ प्राप्त मांग को निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक को अग्रेषित करेंगे एवं क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा भी विभाग से राशि प्राप्ति की सुनिश्चितता करते हुये संबंधित निर्माता/प्रदायक कंपनी को आदेश जारी करेंगे। प्रदाय आदेश में सामग्री का विवरण, प्रदाय दर, प्रदाय की शर्तें, प्रदाय स्थल की जानकारी निगम के GSTIN no आदि का स्पष्ट उल्लेख किया जावेगा। यदि प्रदायक के नाम का विवरण प्राप्त न हो तो संबंधित अधिकारी को पत्र लिखकर जानकारी प्राप्त की जावे। बिना अनुशंसा के स्वयं निर्माता/प्रदायक का चयन न किया जावे।
- III. देयक पर निगम का GST No 23AACCM0330Q1ZM का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। देयक में CGST एवं SGST की राशि का स्पष्ट उल्लेख किया जावेगा। प्रदायक का उत्तरदायित्व है कि GST का भुगतान नियमानुसार समय से किया जावे व मासिक रिटर्न GSTR-1 में दर्शाया जावे। किसी प्रकार की विसंगति के कारण निगम को कोई हानि होती है, तो तदनुसार हानि की राशि की कटौती प्रदायक देयक में से की जाएगी।
- IV. प्रदाय आदेश में, आरसीओ की शर्त की कण्डिका 16 की उप कण्डिका 1 के अनुसार "The supplier has to supply the ordered material within 15 days from the date of order issued by Regional Manager and submit clearly typed readable bill in triplicate along with receipt/acknowledgement of consignee." प्रदायगी की समय सीमा का उल्लेख किया जावे। प्रदाय अवधि के अंदर प्रदायक आदेशित सामग्री को सही हालत में प्रदाय करेंगे। विलम्ब की स्थिति में प्राप्तकर्ता विभाग के अधिकारी की सहमति प्राप्त होने के उपरांत ही प्रदायगी स्वीकार की जा सकेगी। आरसीओ की शर्त की कण्डिका 21 के अनुसार निम्नानुसार प्रदायगी में विलम्ब होने पर शास्ति अधिरोपित कर कार्यवाही की जाएगी :-

S. no	Week	Penalty in Percentage of the Value of the non supplied items within the prescribed time of the Issued Order
1	First to second week	0.25% per week
2	Third to Fourth week	0.50% per week
3	Fifth to Sixth week	0.75% per week
4	Seventh to Eighth week	1.00% per week
5	Ninth to Tenth week	1.25% per week or the supply order can get cancelled
6	Eleventh to Twelfth week	1.50% per week or the supply order can get cancelled
7	Beyond Twelfth week	The supply order may get cancelled along with forfeiture of 21% value of the total value of non supplied items from respective suppliers bills or EMD etc.

- V. क्षेत्रीय प्रबंधक/जिला प्रबंधक द्वारा आरसीओ की कण्डिका 22 के अनुसार "The approved offerer / Supplier will upload the order copy, receipt of order date, date of supply, date of submission of bill, date of receipt of payment etc on the MPFSTS portal handled by the Department of Horticulture" के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- VI. आदेशित सामग्री की प्रदायगी केता विभाग को करते समय प्रदाय किये जा रहे लाट का भौतिक निरीक्षण निगम के जिला प्रबंधक एवं संबंधित विभाग से सक्षम अधिकारी द्वारा किया जावेगा एवं परिशिष्ट 3 अनुसार भौतिक सत्यापन रिपोर्ट संयुक्त हस्ताक्षर से जारी होंगे। केता विभाग के सक्षम अधिकारी से संतुष्टि प्रमाण पर हस्ताक्षर कर जारी किया जाएंगे।

 नितिन मोहगांवकर
प्रबंधक (

निरंतर.....

VII. भुगतान—

अ- प्रदायक के देयक का भुगतान, "भुगतान पश्चात भुगतान" के आधार पर आरसीओ की कण्डिका क्रमांक 16 (2) के अनुसार किया जायेगा।

VIII. निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा लिखित आदेश जारी किये जाने के उपरांत ही प्रदाय को मान्य किया जावेगा।

IX. आरसीओ की कण्डिका 18 के अनुसार वारण्टी की शर्त निम्नानुसार रहेगी :-

WARRANTY: The material supplied should carry minimum 1 year warranty from the date of supply. The Supplier is responsible for damages if any occurring due to manufacturing defect, inferior quality etc. in such case the supplier will replace/ repair such material on its own expenses within 10 days from the date of intimation letter. If the supplier fails to do so in the given time limit of 10 days the Corporation/ Department shall not be responsible for the theft or further damage of the item or the department/ beneficiary may be free to repair/ replace the defective material from open market and the Corporation will recover the cost or expenditure whatsoever, from the future bills of the supplier or from the security deposit

X. आरसीओ की कण्डिका 12 के अनुसार PRE INSPECTION FOR QUALITY BEFORE DELIVERY की शर्त निम्नानुसार रहेगी :-

PRE INSPECTION FOR QUALITY BEFORE DELIVERY :

A-(i) Agency only from any of the State / Central / Govt Engineering college Govt institution or Agency approved by Quality Council of India (NABCB), like DGS&D/ RITES/ CIPET/ EIL/ IRSIR(class)/ PDIL/EIC/CIPET/ICAR- CIAE.

(ii) All material supplied under this RCO **may be** inspected by Third Party through the Corporation for this purpose.

(iii) Expenses related to Third Party inspection shall be borne by bidder.

(iv) Inspection Report of such inspection conducted shall be submitted by supplier along with bills.

B The Managing Director may decide to inspect the Production/ Quality Control Facilities of the offerer through any means, before or after the execution of agreement. If any time it is found that the information submitted by Offerer/ Supplier is not according to the documents submitted the Managing Director reserves the right to reject the offerer or terminate the agreement.

XI. आरसीओ की कण्डिका 19 के अनुसार गुणवत्ता परीक्षण का उपयोग किया जा सकता है:-

"In Case of any dispute of quality, the Corporation will get the material tested in order to ascertain the quality by testing in CIPET, the testing charges incurred for the same shall be recovered from the bills or EMD of supplier with the Corporation.

आरसीओ की शर्त क्र. 9 (i), (ii) & (iii) यह शर्त निहित है कि अनुबंध की अवधि में अनुबंधित दर से कम दर पर मध्यप्रदेश में व्यवसाय किया जाता है एवं यह निगम के संज्ञान में आता है, तो निगम कृषक/विभाग को होने वाले नुकसान को कंपनी के

निरंतर.....



नितिन मोहनावकर

XII. देयकों/सिक्योरिटी डिपॉजिट से भरपाई करने हेतु अधिकृत है, यदि इस आशय की जानकारी जिले में प्राप्त होती है तो क्षेत्रीय/जिला प्रबंधक उसकी सूचना डाक्यूमेंटरी प्रूफ के साथ मुख्यालय को प्रेषित करेंगे, जिससे अनुबंध की शर्तों के अनुसार प्रदायक के विरुद्ध कार्यवाही की जा सके।

XIII. आरसीओ की कण्डिका 13 "Rates received against this RCO shall be valid for 3 months from the rate approval letter issue date. In case of the exigencies the Managing Director may extend the validity of rate till the new rate are finalised." के अनुसार दरें प्रभावशील रहेंगी।

4. जिला प्रबंधक यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे कि सामग्री एम.पी.एगो के चालान के माध्यम से ही संबंधित प्राप्तकर्ता विभाग को भेजी जाए। प्रदायक के चालान से भेजी गई सामग्री को मान्य नहीं किया जाए।

5. म.प्र. भण्डार कय नियम 2015 (यथा सशोधित 2022) एवं निगम द्वारा जारी किये गये रेट कांट्रेक्ट आफर की प्रति निगम की वेबसाइट पर उपलब्ध है, पूर्ण विवरण हेतु इसकी एक प्रति प्रिंट कर रिकार्ड में रखें एवं तदनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

क्रमांक/मुख्या/उद्यान/प्लास्टिक आयटम/2023-24/3013
प्रतिलिपि-

प्रबंधक (उद्यान)
दिनांक 18/12/2023
नितिन मोहगांवकर
19/12/23

1. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, अपर प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग मंत्रालय भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. संचालक उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. मुख्य वन संरक्षक अनुसंधान एवं विस्तार सतपुड़ा भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ।
5. उप संचालक/सहायक संचालक उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
6. उप संचालक/ सहायक संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
7. क्षेत्रीय प्रबंधक (समस्त) की ओर सूचनार्थ।
8. मेसर्स की ओर सूचनार्थ। प्रदाय देयक निगम के जिला प्रबंधक को जारी करते समय देयक पर इस आशय का उल्लेख अवश्य किया जावे की देयक के विरुद्ध प्रदाय की जा रही सामग्री निगम के आरसीओ के अनुसार निर्धारित मापदण्ड एवं गुणवत्ता अनुसार है। प्रदायक द्वारा सामग्री प्रदाय किये जाने की दशा में यह मान्य किया जावेगा की वह उक्तानुसार समस्त शर्तों से सहमत है।

प्रबंधक (उद्यान)
18.12.2023
नितिन मोहगांवकर
प्रबंधक (..)

NON ISI MARKED MULCH FILM NON BIO DEGRADABLE - REFLECTIVE & NON REFLECTIVE

TECHNICAL SPECIFICATION

A TECHNICAL SPECIFICATIONS- PLASTIC MULCH FILMS

Plastic Mulch films (Non Reflective/ Reflective), should be made by Virgin quality UV Stabilized Polyethylene Granules.

1- Colour- as required by purchaser (Single Colour Black-Black), Double Colour (Black-Silver)

2- The offerer/ applicant should give other Details of offered model as detailed below

Sno	Minimum Specification* $\pm 10\%$				
	Material	Type	Thickness in Microns	Weight in Gms / sq mtr	Coverage Area 1 Kg Sheet
1	Mulch films should be made by Virgin quality UV Stabilized Polyethylene Granules	Non Reflective/ Reflective	30	27.90	35.80
2			40	37.20	26.90
3			50	46.50	21.50
4			60	55.80	17.90
5			75	69.75	14.30
			100	93.00	10.75

A. Marking - Each unit of roll of folded film shall be marked legibly with the following information:

- Manufacturer's name and i.e recognized trade-mark, if any;
- Batch or lot number
- Type of Film
- Service life of the film
- Month and year of manufacturing
- Thickness of film
- Width of the roll
- Mass of roll/ Folded Film
- Colour of Film
- Any other specific information if required by Department/ Corporation


 प्रबंधक (उद्यान)
 18.12.2023
 नितिन मोहगांवकर
 प्रबंधक ()



एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल-462003

☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohbpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

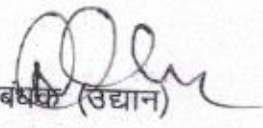
परिशिष्ट 2

NON ISI MARKED MULCH FILM NON BIO DEGRADABLE - REFLECTIVE & NON REFLECTIVE

Name of Manufacturer/ Supplier	- M/S EMMBI INDUSTRIES LIMITED GROUND FLOOR OF THE MAIN BUILDING AT DANI CORPORATE PARK, 158, CST ROAD, KALINA, SANTACNUZ (EAST) MUMBAI
Contact Person	- SUJIT DALVI
Mobile No.	- 8433935826
Email	- sujit.dalvi@emmbi.com

SUPPLY RATES AGAINST SUPPLY, OF MADHYA PRADESH

NON ISI MARKED MULCH FILM NON BIO DEGRADABLE - REFLECTIVE	
Particular	For 30 Micron (Rs.)
Basic Price	164.00
IGST @ 18%	29.52
Corporation Purchase Price	193.52
Basic Rates in Per KG	164.00
Corporation margin 5%	8.20
Sub Total-	172.20
CGST @ 9% (on Sub Total)	15.50
SGST @ 9% (on Sub Total)	15.50
Corporation Selling Price (in Rs.)	203.20


प्रबंधक (उद्यान)
18.12.2023
नितिन मोहगांवकर
प्रबंधक (..)



एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल-462003
☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohobpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

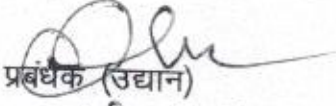
परिशिष्ट 2

NON ISI MARKED MULCH FILM NON BIO DEGRADABLE - REFLECTIVE & NON REFLECTIVE

Name of Manufacturer/
Supplier - **KSC AGRI INDUSTRIES PVT. LTD.**
KHASRA NO. 347, GRAM
KHADKOD, DISTT. BURHANPUR
Contact Person - **HARPREET SINGH CHAWLA**
Mobile No. - **7000438701**
Email - **kscagriindustries@gmail.com**

SUPPLY RATES, AGAINST SUPPLY, WITHIN MADHYA PRADESH

Particular	Reflective Non Bio Degradable For 30 Micron	Reflective Non Bio Degradable For 40,50,60,75,&100 Micron
	(Rs. in per Kg)	Non Reflective Non Bio Degradable For 30,40,50,60,75,&100 Micron (Rs. in per Kg)
BASIC RATES IN PER KG	164.00	170.00
CGST @ 9%	14.76	15.30
SGST @ 9%	14.76	15.30
Corporation Purchase Price (in Rs.)	193.52	200.60
BASIC RATES IN PER KG	164.00	170.00
Corporation margin 5%	8.20	8.50
Sub Total-	172.20	178.50
CGST @ 9% (on Sub Total)	15.50	16.07
SGST @ 9% (on Sub Total)	15.50	16.07
Corporation Selling Price (in Rs.)	203.20	210.63


प्रबंधक (उद्यान)
18.12.2023
नितिन मोहगावकर
प्रबंधक ()



एम.पी.स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रीज डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय नगर, भोपाल-462003

☎- 0755- 2551652, 2551756 Fax - 0755 2557305 email - mpagrohbpl@gmail.com
website : www.mpstateagro.nic.in - CIN No. U01119MP1969SGC001055

परिशिष्ट 2

NON ISI MARKED MULCH FILM NON BIO DEGRADABLE - REFLECTIVE & NON REFLECTIVE

Name of Manufacturer/Supplier	- M/S NETWIN AGRO & BIOTECH PVT. LTD.,
Contact Person	- 105/03/1, Kalaria Indore (M.P.),
Mobile No.	- SUSHIL JAIN
Email	- 9827062263
	- netwinagro@gmail.com

SUPPLY RATES, AGAINST SUPPLY, WITH IN MADHYA PRADESH

Particular	Reflective Non Bio Degradable For 30 Micron (Rs. in per Kg)	Reflective Non Bio Degradable For 40,50,60,75,&100 Micron
		Non Reflective Non Bio Degradable For 30,40,50,60,75,&100 Micron (Rs. in per Kg)
BASIC RATES IN PER KG	164.00	170.00
CGST @ 9%	14.76	15.30
SGST @ 9%	14.76	15.30
Corporation Purchase Price (in Rs.)	193.52	200.60
BASIC RATES IN PER KG	164.00	170.00
Corporation margin 5%	8.20	8.50
Sub Total-	172.20	178.50
CGST @ 9% (on Sub Total)	15.50	16.07
SGST @ 9% (on Sub Total)	15.50	16.07
Corporation Selling Price (in Rs.)	203.20	210.63

प्रबंधक (उद्यान)

भौतिक सत्यापन रिपोर्ट

उप संचालक/सहायक संचालक..... का आदेश क्रमांक

योजना का नाम.....

घटक का नाम

वर्ष

निगम मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय के आदेश क्रमांक

दिनांक के कम में मेसर्स द्वारा

निम्नानुसार सामग्री का प्रदाय किया गया है।

क्रमांक	सामग्री का नाम	Specification/ Model	एम.पी एग्रो का चालान क्र. / दिनांक	एम.पी. एग्रो का देयक क्र. / दिनांक	प्राप्त मात्रा	सामग्री की गुणवत्ता
1						
2						

उक्तानुसार प्राप्त सामग्री का भौतिक सत्यापन आज दिनांक को मेरे द्वारा संबंधित प्राप्त कर्ता विभाग के समक्ष अधिकारी के साथ संयुक्त रूप से किया गया है। सामग्री सही हालत में प्राप्त हुई है एवं सामग्री निगम मुख्यालय द्वारा जारी दर अनुमोदन पत्र/आरसीओ की शर्तों एवं निर्धारित स्पेशिफिकेशन अनुसार है तथा सामग्री को हितग्राहियों को वितरित करने की अनुशंसा की जाती है।

उप संचालक/सहायक
संचालक
.....
कार्यालय जिला
(सील मुद्रा सहित)

प्रदायक के हस्ताक्षर
(सील मुद्रा सहित)

जिला प्रबंधक
.....
(सील मुद्रा सहित)

कार्यालय उप संचालक/सहायक संचालक,

कार्यालय का नाम

जिला

क्रमांक

दिनांक

संतुष्टी रिपोर्ट

उप संचालक/सहायक संचालक का आदेश क्रमांक

योजना का नाम.....

घटक का नाम

वर्ष

जिला प्रबंधक, एम पी स्टेट एग्री इन्डस्ट्रीज द्वारा चालान/देयक से निम्नानुसार सामग्री का प्रदाय किया गया है :-

निगम का चालान क्रमांक/ दिनांक	निगम का देयक क्रमांक/ दिनांक	प्रदाय संस्था का नाम	सामग्री का नाम	Specification/ Model	कुल मात्रा	रिमार्क

उपरोक्तानुसार प्रदाय की गई सामग्री निगम मुख्यालय द्वारा जारी अनुमोदन पत्र/आरसीओ की शर्तों एवं निर्धारित स्पेशिफिकेशन अनुसार है तथा सामग्री की गुणवत्ता के संबंध में फील्ड से इस कार्यालय को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

उप संचालक/सहायक संचालक

.....
कार्यालय जिला
(सील मुद्रा सहित)